

क्र. सं.

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

20/6/22

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित।
वकील वादी को प्रतिवादीगण की तस्वीरें
अनेक अवसर प्रदान किए गए हैं, उल्टे
उपरोक्त आज्ञादिनांक तक तस्वीरें पेश नहीं की
दिनांक 31/2/22 को प्रतिवादीगण की registration
तस्वीरें अदालत को पेश की थीं तस्वीरें
नहीं करवाई गई थीं। वादी ने
महज न्यायालय समय जाया करने के उद्देश्य
से प्रकरण पेश किया है। अतः वादी का
वाद तस्वीरें अभाव में अंतर्गत अदालत
9 नियम 05 के अन्तर्गत किया जाता है।
पत्रावली फौजदारी शुमार है, दर्ज नंबर
से कम होकर डाकिल डायरी है।

सहायक कलक्टर
कोटपूराली (जयपुर)